



FIROZABAD POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



सराहनीय कार्य दिनांक 05-08-2022 थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।

"Property Seizure under 14(1) Gangsters Act"

- ❖ श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा थाना टूण्डला क्षेत्र के शातिर शराब माफिया सुखबीर उर्फ सूखा पुत्र हजारी लाल यादव की करीब एक करोड़ 89 लाख 39 हजार रुपए की अचल सम्पत्ति की गयी कुर्क ।
- ❖ एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों की सम्पत्ति कुर्क करने हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
- ❖ शराब माफिया सुखबीर उर्फ सूखा पर दर्ज है 01 दर्जन से अधिक मुकदमें ।

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद आदेश दिनांक 25.7.2022 के अनुपालन में एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शराब माफिया सुखबीर उर्फ सुक्खा पुत्र हजारीलाल यादव निवासी ग्राम उसायनी थाना टूण्डला हाल प्लेट न0 17 द्वितीय तल सिटी सेंटर अपार्टमेंट स्टेशन रोड कस्वा व थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से चल-अचल सम्पत्ति की कुल कीमत 18939000/- रुपये की अवैध सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत श्रीमान उपजिलाधिकारी टूण्डला एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला व प्रभारी निरीक्षक थाना टूण्डला मय फोर्स के दिनांक 5.8.2022 को नियमानुसार डुगडुगी एवं मुनादी कराकर समक्ष गवाहान अवैध सम्पत्ति पर बेनर/नोटिस चस्पा कराकर शराब माफिया सुखबीर उर्फ सुक्खा उपरोक्त की अवैध सम्पत्ति को जब्त किया गया । जब्त शुदा सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है ।

जब्तशुदा अवैध सम्पत्ति का विवरण -

1. ग्राम उसायनी खेत फसली खाता संख्या 321 गाटा संख्या -367क / 0.298 हैक्टेयर लेखपत्र संख्या 5243/2015 व 5568/2015 जिसकी कीमत 2831000/- रुपये
2. प्लाट स्थित ग्राम उसायनी क्षेत्रफल 83.70 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 1431/2004 जिसकी कीमत 418500/- रुपये
3. प्लाट स्थित ग्राम उसायनी क्षेत्रफल 83.70 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 1611/2004 जिसकी कीमत 418500/- रुपये
4. फ्लैट न0 15 स्थित सिटी सेंटर तृतीय तल कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 33.75 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 1953/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 1112000/-रुपये
5. फ्लैट न0 17 स्थित सिटी सेंटर तृतीय तल कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 40.58 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 1952/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 1296000/- रुपये
6. दुकान न0 03 स्थित सिटी सेंटर प्रथम तल अपर ग्राउन्ड फ्लोर कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 14.88 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 3078/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 2224000/- रुपये
7. दुकान न0 04 स्थित सिटी सेंटर प्रथम तल अपर ग्राउन्ड फ्लोर कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 14.88 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 3076/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 2182000/- रुपये
8. दुकान न0 ए-1 स्थित सिटी सेंटर प्रथम तल अपर ग्राउन्ड फ्लोर कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 35.07 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 7750/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 1881000/- रुपये
9. दुकान न0 ए-2 स्थित सिटी सेंटर प्रथम तल अपर ग्राउन्ड फ्लोर कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 35.07 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 7751/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 1875000/- रुपये

10.दुकान न0 ए-3 स्थित सिटी सेंटर प्रथम तल अपर ग्राउन्ड फ्लोर कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 30.35 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 7749/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 1791000/- रूपये

11.दुकान न0 बी-1 स्थित सिटी सेंटर प्रथम तल अपर ग्राउन्ड फ्लोर कोमर्शियल/रेजीडेन्सी अपार्टमेंट काम्पलेक्स स्टेशन रोड टूण्डला क्षेत्रफल 53.68 वर्गमीटर लेखपत्र संख्या 7844/2021 जो पत्नी सुशीली देवी के नाम है जिसकी कीमत 2878000/- रूपये

अचल सम्पत्ति की कुल कीमत 18907000/- रूपये

12.चल सम्पत्ति मो0सा0 हीरो एच0एफ0 डीलक्स यूपी 83 ए0एन0 1022 जिसकी कीमत कुल 32000/- रूपये है जो अभि0 सुखबीर उर्फ सुक्खा उपरोक्त के पास है जो फरार चल रहा है मो0सा0 उपरोक्त को अलग से कुर्क कर जब्त किया जायेगा।

जब्तीकरण की कुल सम्पत्ति-18939000/-

शराब माफिया सुखबीर उर्फ सुक्खा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 123/1999 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 131/2000 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 144/2000 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 102/2001 धारा 18/22 एनडीपीएस अक्ट थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 85/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 251/13 धारा 255/258/260/420/467/468 भादवि थाना सदर जिला मथुरा।
7. मु0अ0सं0 191/2015 धारा 60 आबकारी अधि0 व 420 भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
8. मु0अ0सं0 725/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
9. मु0अ0सं0 321/2017 धारा 60/72 आब0 अधि0 व 420 भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
10. मु0अ0सं0 505/2017 धारा 174ए भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
11. मु0अ0सं0 712/2017 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
12. मु0अ0सं0 724/2017 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
13. मु0अ0सं0 306/2022 धारा 323/504/506 भादवि 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
14. मु0अ0सं0 368/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

अवैध सम्पत्ति को जब्त करने वाले अधिकारी/कर्मगण-

- 1.श्री आदेश सिंह सागर उप जिलाधिकारी तहसील टूण्डला फिरोजाबाद।
- 2.श्री हरिमोहन सिंह क्षेत्राधिकारी टूण्डला फिरोजाबाद।
- 3.श्री राजेश कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
- 4.उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
- 5.उ0नि0 श्री अजीत मलिक थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
- 6.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
- 7.म0उ0नि0 पारूल तोमर थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
- 8.म0उ0नि0 प्रीती राय थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
- 9.एचसी 478 मानिक चन्द थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
- 9.मय पीएसी मय अन्य पुलिस बल।